



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला(कांगड़ा)-176213

क्रमांक:हिशिबो(19)संचालन-1/CF-7(Vol-I)/CS-DS/2023- 95

दिनांक:- 16/01/2024

“अधिसूचना”

अधिसूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 की मैट्रिक व जमा दो नियमित एवं राज्य मुक्त विद्यालय की वार्षिक परीक्षा, कम्पार्टमेंट/अतिरिक्त विषय/श्रेणी सुधार परीक्षा हेतु केन्द्र अधीक्षक एवं उप-अधीक्षक की प्रतिनियुक्ति हेतु पात्र शिक्षक दिनांक 15.01.2024 से दिनांक 27.01.2024 तक केवल ऑनलाईन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन करने हेतु हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.hpbose.org पर लिंक (link) उपलब्ध करवाया गया है। उक्त दर्शित समयावधि के पश्चात् यह लिंक बोर्ड वेबसाइट से हटा दिया जाएगा।

नोट:- (उक्त प्रतिनियुक्तियों हेतु शिक्षकों की पात्रता का मापदण्ड संलग्न है)

डॉ० मेजर विशाल शर्मा(हि.प्र.से)
सचिव

प्रतिलिपि:-

1. सचिव(शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002।
2. निदेशक, उच्चतर/प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला।
3. अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/सहायक सचिव, हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड।
4. निजी सहायक माननीय अध्यक्ष/सचिव।
5. अनुभाग अधिकारी, आई0टी0सैल को बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड करने बारे।
6. कनिष्ठ सहायक, लोक सम्पर्क अधिकारी कार्यालय, हि0प्र0स्कूल शिक्षा बोर्ड, को आवश्यक कार्यवाही हेतु है।

डॉ० मेजर विशाल शर्मा(हि.प्र.से)
सचिव

RULES & QUALIFICATIONS FOR THE APPOINTMENT OF CENTRE SUPERINTENDENT/DEPUTY SUPERINTENDENT (SUBJECT TO AMENDMENTS)

1. This form duly filled by the applicant and countersigned by the concerned Principal/Headmaster should be sent to the Secretary, H.P. Board of School Education, Dharamshala -176213.
2. The Seniority Number in the Cadre as per Seniority List in the Education Deptt. must be shown in the form.
3. Date of Regular appointment and teaching experience as Lecturer/TGT/C&V must be shown separately in this form.
4. The following teachers are eligible for appointment of Centre Superintendent/Deputy Superintendent:-

Centres	Academic Qualification	Teaching Experience
(A) For Centre Superintendent:		
1. Sr. Sec. School	Lect./Lect.(School-New)	5 Years as Lecturer
2. High Schools	1. TGT	10 Years as TGT
	2. C&V	15 Years as C&V
(B) For Deputy Superintendent:		
1. Sr. Sec. School	1. Lect./Lect.(School-New)	3 Years as Lecturer
	2. TGT	5 Years as TGT
	3. C&V	10 Years as C&V
2. High schools	1. TGT	5 Years as TGT
	2. C&V	10 Years as C&V

5. The teachers appointed on adhoc Basis/P.T.A./Para Teachers are not eligible for the appointment of Centre Superintendent/Deputy Superintendent.